

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 68 : Notice to non-filers of returns

A notice in **FORM GSTR-3A** shall be issued, electronically, to a registered person who fails to furnish return under section 39 or section 44 or section 45 or section 52.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 68 : विवरणियों के फाइल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना

प्ररूप जीएसटीआर-3क में सूचना ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप में जारी की जाएगी जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या 52 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।
